

अनुसूची

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010-11 संग्रहण काल में संग्रहित होनेवाले
गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम विक्रय हेतु लाट सूची
(अधिसूचना क्रमांक संघ/गोंद/2010-11/3 दिनांक 04.08.2010)

निविदा तिथि - 30.08.2010

जिला यूनियन/वन मंडल का नाम	इकाई क्रमांक व नाम	अनुमानित अधिसूचित मात्रा (क्वैटल में)	इकाई के कार्य क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल)			
उत्तर,दक्षिण एवं पूर्वी सरगुजा	1- सरगुजा	10	संबंधित संपूर्ण वनमंडल (तमोर पिंगला एवं सेमरसोत अभ्यारण्य छोड़कर)
कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़	2- कोरिया	10	संपूर्ण वनमंडल (गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र छोड़कर)
रायगढ़	3- रायगढ़	50	संपूर्ण वनमंडल
धरमजयगढ़	4- धरमजयगढ़	10	संपूर्ण वनमंडल
मरवाही	5- पेन्द्रा	10	संपूर्ण वनमंडल (अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
धमतरी	6- धमतरी	10	संपूर्ण वनमंडल (सीतानदी अभ्यारण्य एवं उदन्ती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
महासमुंद	7- महासमुंद	50	संपूर्ण वनमंडल
रायपुर	8- रायपुर	50	संपूर्ण वनमंडल (बारनवापारा अभ्यारण्य छोड़कर)
पूर्व रायपुर	9- पूर्व रायपुर	50	संपूर्ण वनमंडल
उदन्ती	10- उदन्ती	10	संपूर्ण वनमंडल (उदन्ती अभ्यारण्य एवं उदन्ती टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
दुर्ग	11- दुर्ग	100	संपूर्ण वनमंडल
कवर्धा	12- कवर्धा	10	संपूर्ण वनमंडल (भोरमदेव अभ्यारण्य छोड़कर)
खैरागढ़	13- खैरागढ़	25	संपूर्ण वनमंडल
राजनांदगांव	14- राजनांदगांव	150	संपूर्ण वनमंडल
नारायणपुर	16- नारायणपुर	50	संपूर्ण वनमंडल
बिलासपुर	20- बिलासपुर	50	संपूर्ण वनमंडल (अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को छोड़कर)
जांजगीर-चांपा	21- जांजगीर-चांपा	50	संपूर्ण वनमंडल
योग:-		695	

टिप :- किसी भी इकाई के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य में तथा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में गोंद संग्रहण प्रतिबंधित है ।